

Online

समाप्त



अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा-144 द०प्र०सं०

वाद संख्या 188/2022

परशुराम नामड

- बनाम -

हरिगंडर नामड

16-01-2023

25-01-2023

08-02-23

15-02-23

29-12-2022 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या सीनुआ थाना 132/17/223 दिनांक 15-02-23

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि प्रकरण पत्र के परशुराम नामड विरुद्ध दिनांक 20-02-23

पत्र के हरिगंडर नामड के हमा गंडर नामड (उदाहरण) दिनांक 25-02-23

नामड दिनांक 27-02-2023

नीचे बर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शान्ति भंग एवं की प्रदल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 06-01-2023 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी
------	----------	----------	-----------	------	---------

<u>सीनुआ</u>	<u>132</u>	<u>17</u>	<u>223</u>	<u>10570</u>	पूर्व - <u>Nali</u> पश्चिम - <u>Main Road</u> उत्तर - <u>Nali</u> दक्षिण - <u>Station Road</u>
--------------	------------	-----------	------------	--------------	---

Prasanna

अनुमण्डल पदाधिकारी,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

06.01.2023 आभिलषित उपलब्धता सचिव का एलोक्युशन
चक्रवाट्टा द्वारा वेबकास्ट कार्यक्रम पत्र द्वारा
द्वारा किया गया है। कोर्ट रिजल्ट संशोधन
द्वारा हेतु आदेश ~~द्वारा~~ हेतु सभी अधिकारियों
ने आभिलषित कार्यक्रम कोर्ट का कार्य प्रकाश
करने की सूचना दी गई है। आभिलषित दिनांक
16.01.2023 की उपलब्धता है।

16.01.2023 आभिलषित उपलब्धता। प्रथम चक्र के कोर्ट की
अधिकारिता द्वारा जारी की गई। नृत्तम पत्र
अनुपलब्ध। प्रकाशन पत्रांक अन्य रण में चल
है। आभिलषित दिनांक 25.01.2023 की उपलब्धता
है।

25.01.2023 आभिलषित उपलब्धता। प्रथम चक्र के कोर्ट की
अधिकारिता द्वारा जारी की गई। नृत्तम
पत्र के लक्ष्य ① दादासा नाथ ② हरिशंकर
नाथ ③ उमा शंकर नाथ उपलब्धता के साथ
उपलब्ध। प्रकाशन पत्रांक अन्य रण में चल
है। आभिलषित दिनांक 08.02.2023 की उपलब्धता
है।

08-02-2023 आमिर्केस उपस्वारपित / रिडितमि पद के सदस्य
① हरिगंडर नामड उपस्वारपित । प्रथम पद
के सदस्य ① परभुराम नामड उपस्वारपित
उपस्वारपित / पीठासन पदा अन्य कार्य में व्यस्त
है। आमिर्केस रिडनांड 15-02-2023 को उपस्वारपित
करे।

15-02-2023 आमिर्केस उपस्वारपिता रिडितमि पद के जोर
से आविक्कवा नाम दारिधरी की गठे। प्रथम
पद के सदस्य ① हरिगंडर नामड उपस्वारपित।

To file show cause on 20/02/23

Ⓜ

15/2/23

20-02-2023 आमिर्केस उपस्वारपित। प्रथम पद के सदस्य
① परभुराम नामड उपस्वारपित। रिडितमि पद की
सदस्य ① दासराडग नामड ② हरिगंडर नामड
उपस्वारपित दो चर दारग धुक्का (31e) दारिक्क
रिक्का। वरीय आविक्कवा रिडनेग मडापसु दारिक्क
निधन ही पारि ने दारग सगा आविक्कवा अनुरोध
पद वाड. नी वरिक्कड स्वगत रिक्का पारग ही आमिर्केस
रिडनांड 24-02-2023 को उपस्वारपित करे।

24-02-2023 आग्रिकील उपल्लारपत। प्रथम पद 5 सदस्य ①
परशुराम नाथक उपल्लित। तृतीय पद 4
सदस्य ① हरिगंड नाथक उपल्लित। पीठासीन
पदा उभय कार्य मे व्यस्त हे। आग्रिकील दिनांक
25.02.2023 की उपल्लारपत करे।

25-02-2023 आग्रिकील उपल्लारपत। प्रथम पद 4 सदस्य ①
परशुराम नाथक उपल्लित। तृतीय पद 4 सदस्य
ले. आधिकार्यता कार्यकारी ने गंडी पीठासीन पदा उभय
कार्य मे व्यस्त हे। आग्रिकील दिनांक 27.02.2023
की उपल्लारपत करे।

27-02-2023 आग्रिकील उपल्लारपत।

The case is dropped as over
the statutory - time limit
of 60 days

@

24/2/23